UPAG010060882026

न्यायालय सत्र न्यायाधीश, आगरा

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–2583/2026

पीठासीन अधिकारी– (SHRI SANJAY KUMAR MALIK), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP01906

आशीष उर्फ संदीप पुत्र ओमपाल सिंह निवासी– मधु नगर थाना सदर बाजार, आगरा हाल निवासी– म0नं0–ए–18/1 गली नं0–5, पाकेट 5,सोनिया विहार, करावल नगर, उत्तर पूर्वी दिल्ली उम्र करीब 34 वर्ष

..... अभियुक्त

प्रति

उ0प्र0 राज्य

.....अभियोजन पक्ष

मु0अ0सं0: 618/2025
धाराः 318(4), 61(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता
थाना–जगदीशपुरा, आगरा

दिनांकः 12.06.2026

पुलिस थाना जगदीशपुरा, जिला आगरा पर पंजीकृत मुकदमा अपराध सं0 618/2025 अन्तर्गत धारा– 318(4), 61(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता में वांछित अभियुक्त आशीष उर्फ संदीप की ओर से धारा 482 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अधीन अग्रिम जमानत हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। समर्थन में शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है।

अभियुक्तके विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि वह निर्दोष है। पुलिस द्वारा गुंडवर्क दिखाने के आशय से अभियुक्त को इस प्रकरण में संलिप्त किया गया है। प्राथमिकी विलम्ब से लिखाई गयी है। अभियुक्त प्राथमिकी में नामित नहीं है। वास्तव में अभियुक्त क्लर्क का कार्य करता था एवं सह अभियुक्त के बयान के आधार पर उसे इस प्रकरण में संलिप्त किया गया है। अभियुक्त द्वारा किसी भी धनराशि का लेन–देन नहीं किया गया है, न ही उसके पास से कोई बरामदगी ही है। प्रकरण में आरोप पत्र प्रस्तुत हो चुका है। अभियुक्त को गिरफ्तारी की आशंका है, अतएव अग्रिम जमानत प्रदान करने की प्रार्थना की गयी है।

अभियोजन कथानक के अनुसार वादी विनोद कुमान द्वारा पुलिस आयुक्त, आगरा को इस आशय का प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया कि उसकी

कम्पनी यदुनाथ फिल्म्स प्रा0लि0 है। उसकी कम्पनी की साइट पर एक मेल ब्रटिलडा इंस्ट्रमेंट कम्पनी का आया, जिसके मालिक परवेज राजपूत एवं पाण्डेण्य द्वारा मेल में कम्पनी के साथ व्यापार करने की इच्छा व्यक्त की गयी, इसके बाद कम्पनी के कार्यालय नड्डा में मेल गया, वहां कम्पनी के सी0ए0 मनोज गुप्ता से बात कराई, जो टैण्डर के संबंध में बात की, वहां पर रवि यादव, सोनू शर्मा उर्फ भारद्वाज गायकवाड़ वीर सिंह, अशोक, अभिजीत एवं कम्पनी का मैन आदमी रविन्द्र अग्रवाल से बात हुई, वहांपर उसे भरोसे में लेकर दो टैण्डर एक 16 करोड़ रूपये का तथा एक 21 करोड़ रूपये का देने का वायदा किया। कम्पनी के लोगों द्वारा उससे 15 लाख रूपये जमा करने को कहा तो उसने उनके खाते में 15 लाख रूपये जमा कर दिये। उसके बाद उसे शक हुआ तो उसने टैण्डर के लिए मना कर दिया और उन्होंने 15 लाख रूपये उसके दूसरे खाते में वापस कर दिये। उसे भरोसा हो गया कि कम्पनी ठीक है, उसने कम्पनी के साथ काम करने के लिए कहा। इनलोगों ने तीन करोड़ रूपयों के टोकन मनी की मांग की, जो उसने आगरा आकर लेने को कहा तो दिनांक 08.09.2025 ाके रवीन्द्र और उसके पांचों साथी आगरा आये और उसे थाना जगदीशपुरा रैस्टोरेंट में बुलाया, वहां पर कुछ देर बाहर रूककर मीटिंग हुई, उसके पश्चात् इन लोगों ने उसके साथ गाड़ी में आये टैण्डर दिलाने के नाम पर टोकन मनी के संबंध में चार करोड़ रूपये उससे मांगे, उसने भरोसा करते हुए अपनी गाड़ी से तीन करोड़ रूपये पांचों को दे दिये। उसके बाद ये लोग चले गये। दो दिन तक कोई फोन नहीं आया तो उसने संपर्क किया तो उनके द्वारा बताया गया कि कोई टैण्डर नहीं मिल पा रहा है,वे बड़ा टैण्डर दिलवायेंगे। जिसके लिए और पैसे देने होंगे। उसके साथ धोखा हुआ है।

वादी के प्रार्थनापत्र पर थाना जगदीशपुरा आगरा पर मु0अ0सं0 618/2025 अन्तर्गत धारा 318(4), 61(2), 317(2) भारतीय न्याय संहिता में प्राथमिकीं अंकित की गई। विवेचना के उपरान्त आवेदक/अभियुक्त एवं सह अभियुक्तगण के विरूद्ध आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी, आगरा द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध किया गया।

मैंने आवेदक/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी आगरा के तर्क सुने एवं पत्रावली का परिशीलन किया।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों एवं पक्षगण के विद्वान अधिवक्तागण के तर्को के मध्य यह निर्विवादित तथ्य है कि आवेदक/अभियुक्त आशीष उर्फ संदीप प्राथमिकी में नामित नहीं है, न ही उसके द्वारा वादी से कथित धनराशि प्राप्त

किया जाना एवं टैण्डर संबंधी कार्यवाही किया जाना कहा गया है। केस डायरी के पर्चा संख्या–13 के अनुसार आवेदक/अभियुक्त का नाम प्रकाश में आना कहा गया है। अभियुक्त के पास से अपराध से सम्बन्धित कथित धनराशि बरामद होना नहीं कहा गया है। इसके सापेक्ष पत्रावली पर उपलब्ध प्रपत्रों से यह भी परिलक्षित होता है कि विवेचक द्वारा विवेचना के दौरान अभियुक्त आशीष उर्फ संदीप पर धारा 35(3) भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत नोटिस तामील कर आरोप पत्र प्रस्तुत किया गया है। आरोपित अपराध मजिस्ट्रेट न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है।

तदैव मामले के तथ्यों तथा परिस्थितियों के दृष्टिगत आवेदक/अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

आदेश

आवेदक/अभियुक्त **आशीष उर्फ संदीप** का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा अभियुक्त को विचारण की समाप्ति तक अग्रिम जमानत प्रदान की जाती है।

आवेदक/अभियुक्त **आशीष उर्फ संदीप** को निर्देशित किया जाता है कि, वह मुवलिग **30,000/– रूपये** का व्यक्तिगत बन्धपत्र तथा समान धनराशि की दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय में प्रस्तुत करेगा। आवेदक/अभियुक्त निम्न शर्तों का अनुपालन करेगा–

1. यह कि, आवेदक/अभियुक्त प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मामले के तथ्यों से भिज्ञ किसी व्यक्ति को कोई उत्प्रेरणा, धमकी या वचन नहीं देंगे जिससे कि उन्हे ऐसे तथ्यों को न्यायालय या पुलिस को प्रकट न करने के लिए मनाया जा सके।

2. यह कि आवेदक/अभियुक्त न्यायालय की पूर्व अनुज्ञा के बिना भारत नहीं छोड़ेगा।

3. यह कि आवेदक/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।

(संजय कुमार मलिक)
सत्र न्यायाधीश,
आगरा।
12.06.2026

Digitally signed by SANJAY KUMAR MALIK
Date: 2026.06.15 06:57:59 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court